



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

फ़ोन - 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : ०१ / यो०बजट-१६ / २०१९-५०६ दिनांक : ०५/६/२०२१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल / खूँटी वन प्रमण्डल / लोहरदगा
वन प्रमण्डल / गुमला वन प्रमण्डल / सिमडेगा वन प्रमण्डल / लातेहार वन
प्रमण्डल / दुमका वन प्रमण्डल / साहेबगंज वन प्रमण्डल / जामताडा वन
प्रमण्डल / सरायकेला वन प्रमण्डल / जमशेदपुर वन प्रमण्डल / सामाजिक
वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा /
सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा /
सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 221-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजन) के अंतर्गत
वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं अवकृष्ट वनों का पुनर्वास का सम्पोषण कार्य (तृतीय
वर्ष) हेतु कुल रु० 392.072 लाख (तीन करोड़ बानवे लाख सात हजार
दो सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाइन उप आवंटन (Online Sub
Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४ / यो०ब०-२७ / २०१९-०९ / स्वी० व०प० दिनांक
१८.०६.२०१९ एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४ / यो०बजट-३२ / २०२०-
०३ / आ० व०प० दिनांक २१.०५.२०२१।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-
वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष-७९६ जनजातीय क्षेत्र
उपयोजना, उप शीर्ष-५८-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत
वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल 392.072 लाख (तीन
करोड़ बानवे लाख सात हजार दो सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित
इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	345.773
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	46.299
कुल :-		392.072

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-१ (क) एवं १ (ख)
पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से
अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं

वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) एवं 2 (ख) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601796580103, 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक—1254 दिनांक—20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय—समय पर निर्गत योजना—सह—वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद संबंधी पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की

अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमादित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वेण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI)

COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII)

श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17.

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18.

कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-16 / 2019-406

दिनांक- 04/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ पलामू/ दुमका/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ मेदिनीनगर/ दुमका/ देवघर/ जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-16 / 2019-406

दिनांक- 04/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ खूंटी/ लोहरदगा/ गुमला/ सिमडेगा/ लातेहार/ दुमका/ साहेबगंज/ जामताड़ा/ सरायकेला-खरसावाँ/ जमशेदपुर/ चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			12204.14	2182.40	14386.54
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल	205	25.018	4.474	29.492
2	खँटी वन प्रमण्डल	100	12.204	2.182	14.386
3	लोहरदगा वन प्रमण्डल	50	6.102	1.091	7.193
4	लातेहार वन प्रमण्डल	90	10.984	1.964	12.948
5	दुमका वन प्रमण्डल	100	12.204	2.182	14.386
6	साहेबगंज वन प्रमण्डल	100	12.204	2.182	14.386
7	जामताड़ा वन प्रमण्डल	100	12.204	2.182	14.386
8	सरायकेला वन प्रमण्डल	150	18.306	3.274	21.580
9	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	250	30.510	5.456	35.966
10	साठवाठ प्रमण्डल, आदित्यपुर	50	6.102	1.091	7.193
11	साठवाठ प्रमण्डल, चाईबासा	50	6.102	1.091	7.193
12	साठवाठ प्रमण्डल, राँची	100	12.204	2.182	14.386
13	साठवाठ प्रमण्डल, दुमका	50	6.102	1.091	7.193
योग :-		1395	170.246	30.442	200.688



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			10638.15	961.00	11599.15
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल	100	10.638	0.961	11.599
2	खँटी वन प्रमण्डल	100	10.638	0.961	11.599
3	गुमला वन प्रमण्डल	150	15.957	1.442	17.399
4	सिमडेगा वन प्रमण्डल	100	10.638	0.961	11.599
5	दुमका वन प्रमण्डल	100	10.638	0.961	11.599
6	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	200	21.276	1.922	23.198
7	साठवाठ प्रमण्डल, आदित्यपुर	200	21.276	1.922	23.198
8	साठवाठ प्रमण्डल, चाईबासा	100	10.638	0.961	11.599
9	साठवाठ प्रमण्डल, राँची	200	21.276	1.922	23.198
10	साठवाठ प्रमण्डल, सिमडेगा	200	21.276	1.922	23.198
11	साठवाठ प्रमण्डल, दुमका	200	21.276	1.922	23.198
योग :-		1650	175.527	15.857	191.384
सकल योग :-		3045	345.773	46.299	392.072



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टर : 1666

पौधों की दूरी : (3m x 2m)

मजदूरी दर : 311.33 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)							
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हेक्टर	23.00	7160.59	0.00	7160.59	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेक्टर तक)	स्थल	12.20	3798.23	0.00	3798.23	
4	गड्ढा धेरान की मरम्मत	चेन	1.00	311.33	0.00	311.33	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेक्टर	3.00	933.99	290.00	1223.99	
	योग—		39.20	12204.14	2182.40	14386.54	


वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टर : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 311.33 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3m x 3m अथवा 2m x 2m अथवा 3m x 2m (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	हेक्टर	14.00	4358.62	0.00	4358.62	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हेक्टर	0.00	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.17	3788.89		3788.89	
4	धेरान मरम्मति	6 चेन प्रति हेक्टर	6.00	1867.98	0.00	1867.98	
6	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेक्टर	2.00	622.66	176.00	798.66	
	योग :-		34.17	10638.15	961.00	11599.15	



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची



आवटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं।

पत्र संख्या - 01/YB-16/2019/406

दिनांक -

04-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179658010103	24653	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदूरी	3,565,600.00 रुपये पैतीस लाख पैसठ हजार छ: सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ने			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060179658010103	24654	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	2,284,200.00 रुपये बाइस लाख चौंहासी हजार छ: सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ने			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060179658010103	24655	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	610,200.00 रुपये छ: लाख दस हजार छ: सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ने			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये चौसठ लाख साहठ हजार

6,460,000.00

क्रमिक योगः

 ADDL ACCE DEV JHARKHAND
 NAND KISHORE SINGH

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24657	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदुरी	रुपये पंद्रह लाख पिनचानवे हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24660	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदुरी	रुपये दस लाख तीरसठ हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24661	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदुरी	रुपये दस लाख अठानवे हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

३०८

रुपये एक करोड़ दो लाख स त्र ह हजार नौ सौ

3,757,900.00

क्रमिक योगः


(NAND KISHORE SINGH)

10,217,900.00

Page 2 of 11

RANCH

Run Date: 4/6/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060179658010103	24664	DMKFOR010	2,284,200.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		SOURAV CHANDRA	रुपये बाइस लाख चौरासी हजार टौरे
	01 - वानिकी		D.F.O.DUMKA	सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
8	S 19 24060179658010103	24669	SBJFOR001	1,220,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		SRI MANISH TIWARI	रुपये बारह लाख बीस हजार चार
	01 - वानिकी		DIV.FOR.OFF.SAHIBG	सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		NJ	
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
9	S 19 24060179658010103	24672	JMTFOR001	1,220,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		BANKAR AJINKYA	रुपये बारह लाख बीस हजार चार
	01 - वानिकी		DEVIDAS	सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O. JAMTARA	
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
योगः				4,725,000.00
रुपये एक करोड उनचास लाख बयालीस हजार नौ सौ				
क्रमिक योगः				14,942,900.00
				
(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCE DRV. JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060179658010103	24673	SKLFOR001	1,830,600.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ADITYA NARAYAN	रुपये अठारह लाख तीस हजार छः सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D. F. O.	
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		SERAIKELLA-KHARSA	
	01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		WAN	
	01 - वेतन एवं भन्ने		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
11	S 19 24060179658010103	24675	JSRFOR051	5,178,600.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		MAMTA PRIYADARSHI	रुपये इकावन लाख अठहत्तर हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		(I.F.S)	रुपये सौ
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		D.F.O.JAMSHPUR	
	01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		PRM.JSR.	
	01 - वेतन एवं भन्ने		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
12	S 19 24060179658010103	24680	JSRFOR116	2,737,800.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SUNIL KUMAR	रुपये सत्ताइस लाख सैतीस हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.	आठ सौ
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		S.F.DIV.ADITYAPUR	
	01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		JSR.	
	01 - वेतन एवं भन्ने		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		

योग:

रुपये दो करोड छयालीस लाख नवासी हजार नौ सौ

9,747,000.00

क्रमिक योग:

24,689,900.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCOF DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24685	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA 03 - मजदुरी	1,674,000.00 रुपये सोलह लाख चौहत्तार हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24686	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदुरी	3,348,000.00 रुपये तैतीस लाख अडतालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24687	SDGAI002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - मजदुरी	2,127,600.00 रुपये इक्कीस लाख सत्ताहस हजार ल: सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये तीन करोड़ अठारह लाख उनचालीस हजार पाँच सौ			7,149,600.00
क्रमिक योग:				31,839,500.00
(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCOF DEV JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060179658010103	24688	DMKFOR003	2,737,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	रुपये सल्लाइस लाख सेतीस हजार आठ सौ	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060179658010323	24722	DRNFWL013	543,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	रुपये पाँच लाख तीरयालीस हजार पाँच सौ	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060179658010323	24723	RNCFORK01	314,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	रुपये तीन लाख चौदह हजार तीन सौ	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये तीन करोड़ चौपन लाख पैंतीस हजार एक सौ			3,595,600.00
क्रमिक योग:				35,435,100.00
			(NAND KISHORE SINGH) SADDI POLE DEV JHARKHAND	

क्रमांक	विपरी कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	24724	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER	109,100.00 रुपये एक लाख नौ हजार एक सौ
20	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	24725	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	144,200.00 रुपये एक लाख चावलीस हजार तीन सौ
21	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	24727	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	96,100.00 रुपये छयानवे हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	

योग्यः


रुपये तीन करोड सत्तावन लाख चौरासी हजार पैसे


349,400.00

क्रमिक योगः

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCE DEV. JHARKHAND

35,784,500.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	24729	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 23 - आपुर्ति एवं सामग्री	196,400.00 रुपये एक लाख छयानवे हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	24730	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA 23 - आपुर्ति एवं सामग्री	314,300.00 रुपये तीन लाख चौदह हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	24731	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 23 - आपुर्ति एवं सामग्री	218,200.00 रुपये दो लाख अठारह हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
<hr/>				
योग:	रुपये तीन करोड़ पैसठ लाख तेरह हजार चार सौ			728,900.00
क्रमिक योग:				36,513,400.00
<hr/>				
(NAND KISHORE SINGH) ADOL ECCE DEV JHARKHAND	 RANCH			

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आर्वटि राशि
25	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	24732	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	218,200.00 रुपये दो लाख अटारह हजार टी सौ
26	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	24735	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	327,400.00 रुपये तीन लाख सत्ताइस हजार चार सौ
27	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	24736	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	737,800.00 रुपये सात लाख सैतीस हजार आठ सौ
<hr/>				
योग:	रुपये तीन करोड सित्योत्तर लाख छयानवे हजार अष्ट सौ			
क्रमिक योग:	 (NAND KISHORE SINGH) ADMI PCCE DEV JHARKHAND			
<hr/>				
Page 9 of 11	RANCH		Run Date:	4/6/2021
<hr/>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	24737	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	301,300.00 रुपये तीन लाख एक हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	24738	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	205,200.00 रुपये दो लाख पौँच हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	24739	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	410,400.00 रुपये चार लाख दस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः:

रुपये तीन करोड सित्यासी लाख तेरह हजार सात सौ

916,900.00

क्रमिक योगः:

38,713,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

SADDI PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060179658010323	24740	SDGAI002	192,200.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ASHOK KUMAR GUPTA	रुपये एक लाख बयानवे हजार दो
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		DIV. F O SOC.	सौ
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		FORESTRY SIMDEGA	
	01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
32	S 19 24060179658010323	24741	DMKFOR003	301,300.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SUSHIL SOREN (I.F.S)	रुपये तीन लाख एक हजार तीन
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.S.F.DIVDUMKA	सौ
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
योग:				493,500.00
रुपये तीन करोड बयानवे लाख सात हजार दो सौ				
क्रमिक योग:				39,207,200.00
<i>(NAND KISHORE SINGH) SHANTI PCCE DEV JHARKHAND</i>				